(88)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1001/1994 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—08—1994 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 75/1993—94/अपील

.....

छोटेलाल पुत्र ग्यादीन,
निवासी— ग्राम पाती, तहसील अटेर,
जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....आवेदक

विरूद्ध

रामवती कथित पत्नि देशराज
निवासी— ग्राम पाती, तहसील अटेर,
जिला— भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदिका

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 75/1993—94/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 31—08—1994 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि आवेदक छोटेलाल ने न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा सुरपुरा में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि महिला रामवती बेवा देशराज आवेदक की मामी थी, जो की 30—35 वर्ष संयासी हो गई और कहीं चली गई है। यह मालूम नहीं है कि वह जिन्दा है अथवा मर गई है। महिला रामवती का आवेदक एक मात्र वारिस है। अतः रामवती के स्वामित्व के खाते की भूमि का नामांतरण आवेदक के हित में किया जावे । विचारण न्यायालय ने विज्ञप्ति समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई और गवाहों के कथन आदि लेने के उपरान्त आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये महिला रामवती के स्वामित्व की

भूमि का नामांतरण आवेदक के हित में दिनांक 30.04.93 को कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध दिनांक 22.07.93 को अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के न्यायालय में रामवती की ओर से अपील प्रस्तुत की गई। अपील स्मृति पत्र के साथ अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के न्यायालय में विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा 27.01.94 को आदेश पारित कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.93 निरस्त करते हुये अपील स्वीकार किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितिय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष पेश की गई है। जहॉ प्रकरण क्रमांक 75/93–94/अपील माल में दर्ज किया जाकर दिनांक 3108.94 को आवेदक के विपक्ष में आदेश पारित करते हुये प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष प्रस्तुत अपील बैरून म्याद थी । उन्होंने मयाद के सम्बन्ध में कोई निर्णय न करते हुये अपील स्वीकार किया है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने भी प्रस्तुत अपील को म्याद के प्श्न पर कोई विचार न करते हुये बिना किसी जांच के अनावेदिका रामवती को इस प्रकरण से संबंधित भूमि का भूमिस्वामी मानने में भूल की है । वास्तव में यह प्रकरण जांच हेतु प्रारंभिक न्यायालय को वापस किया जाना चाहिये था । अनावेदिका रामवती बेवा देशराज आवेदक की मामी थी, जो की 30–35 वर्ष संयासी हो गई और आवेदक के हक में दिनांक 12.04.58 को विवादित भूमि का राजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर गांच छोड़कर कहीं चली गई है। यह मालूम नहीं है कि वह जिन्दा है अथवा मर गई है। अनावेदिका रामवती का आवेदक ही एक मात्र वारिस है। ऐसी स्थिति में यदि रामवती को सही माना जाये तो उसके द्वारा किये गये विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक का नामांतरण किया जाना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं पर ध्यान दिये बिना ही आदेश पारित किया गया जो कि अनुचित है । अतः ऐसा आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदिका सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश पत्रिकाओं का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अटेर रे आवेदक छोटेलाल को सुनवाई का

समुचित अवसर भी दिया गया है । अतः मात्र कानूनी तकनीकियां पूर्ण न करने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को आवैध करार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कानूनी तकनिकियां किसी पक्षकार के वास्तविक कानूनी हकों पर हावी नहीं हो सकती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के समयावधि में प्रस्तुत होने अथवा न होने के संबंध में उभयपक्ष को श्रवण किया और अपने अंतिम आदेश में अवधि के बिन्दू पर निर्णय भी लिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्ततु अनावेदिका रामवती के आवेदन पत्र दिनांक 24.01.94 कलेक्टर भिण्ड को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 22.07.93 तथा ग्राम पंचायत मटघेना और ग्राम पंचायत बड़ापुरा द्वारा प्रदत्त प्रमाण यह प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है कि अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी रामवती बेवा देशराज(इस न्यायालय में अनावेदिका) वही रामवती है जिसके स्वामित्व की भूमि का नामांतरण विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के हित में किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है और इसी आदेश को अनुविभागीय अधिकारी, अटेर एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना में अपने–अपने आदेश में निरस्त किया है ।

6/ उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये निगरानी अस्तित्वहीन एवं बलहीन होने से निरस्त किया जाता है और अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.94 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर